



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 2 राँची, गुरुवार, 16 पौष, 1947 (श०)
6 जनवरी, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

1 जनवरी, 2026

सं०सं०:- वित्त-03/विधि-25/2022.....

विषय: W.P(S) No-34/2022 (Dilip Kumar Bhattacharya -Vrs. -The state of Jharkhand &Ors.) में पारित आदेश के आलोक में श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य के दिनांक 01.02.2011 से 31.01.2013 तक के अवधि के अनुमान्य बकाया राशि एवं सेवांत लाभ के भुगतान के संबंध में।

श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य मूलरूप से बिहार राज्य चर्म उद्योग निगम के कर्म थे तथा दिनांक 17.09.1996 को राज्य कोषागार में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। बोर्ड/निगम से कोषागार में प्रतिनियुक्त हुए कर्मियों के मामले में निर्गत विभागीय पत्रांक 51/वि. दिनांक 08.01.2010 में प्रतिनियुक्त कर्मियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त प्रदान करने का निदेश दिया गया था। तदालोक में श्री भट्टाचार्य दिनांक 31.01.2011 को सेवानिवृत्त हुए। कालांतर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 24/ACS दिनांक 31.08.2018 द्वारा इन्हें दिनांक 17.09.1996 के प्रभाव से समायोजित कर सभी वित्तीय लाभ एवं पेंशन आदि दिया जा चुका है। श्री भट्टाचार्य द्वारा 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त न करते हुए 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किये जाने तदनुसार परिणामी लाभ प्रदान करने की माँग करते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में W.P(S) No. 34/2022 (Dilip Kumar Bhattacharya -Vrs- The state of Jharkhand &Ors.) दायर किया गया।

2. W.P(S) No-34/2022 (Dilip Kumar Bhattacharya-Vrs-The state of Jharkhand &Ors.) में दिनांक 07.12.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत है :-

"The respondents are directed to extend all the service benefits for the period from 01.02.2011 to 31.01.2013 to the petitioner within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order".

3.W.P(S) No-34/2022 (Dilip Kumar Bhattacharya-Vrs- The state of Jharkhand &Ors.) में पारित न्यायादेश के विरुद्ध LPA No.137/2025 दायर किया गया था | उक्त दायर LPA में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 का मुख्य अंश निम्नवत है :-

"22. We are satisfied that in the facts and circumstances of the case, the applicants have not shown sufficient cause for condoning the delay in filing the Letters Patent Appeal.

23. Therefore, the application is dismissed. Consequently, the Letters Patent Appeal is dismissed.

24. All pending applications shall stand closed."

4. दायर LPA में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(C) Diary No(s). 37906/2025 दायर किया गया। उक्त SLP में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2025 को पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत है :-

"2. Accordingly, the Special Leave Petition stands dismissed. We make it clear that the dismissal of the present petition is only on the ground of delay.

3. Pending applications, if any, shall stand disposed of."

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) Diary No(s). 37906/2025 झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम दिलीप कुमार भट्टाचार्य को Dismiss कर दिये जाने की स्थिति में W.P(S) No-34/2022 (Dilip

Kumar Bhattacharya -Vrs- The state of Jharkhand &Ors.) में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की वैधानिक बाध्यता उत्पन्न है।

6. वर्णित परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में W.P(S) No-34/2022 में दिनांक 07.12.2023 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु निम्न निर्णय लिया गया है :-

(i) श्री दिलीप भट्टाचार्य, लिपिक (सेवानिवृत्त), जमशेदपुर कोषागार का सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2011 (58 वर्ष) के स्थान पर दिनांक 31.01.2013 (60 वर्ष) माना जाएगा।

(ii) उक्त के आलोक में श्री दिलीप भट्टाचार्य के दिनांक 01.02.2011 से 31.01.2013 तक की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गई अवधि मानते हुए सभी अनुमान्य लाभ (सेवांत लाभ सहित) का भुगतान संबंधित कार्यालय के द्वारा किया जाएगा।

(iii) श्री दिलीप भट्टाचार्य, लिपिक (सेवानिवृत्त), जमशेदपुर कोषागार को दिया जाने वाला लाभमाननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में है, अतः इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3031/वि० दिनांक 17.12.2025 के क्रम में दिनांक 23.12.2025 की बैठक के मद सं० 17 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार),

सचिव
